न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 01(ए)/2019

अपीलांट –	*बनाम*	रेस्पोंडेंट्स–
मुगर खां पुत्र वली खां जाति मुसलमान निवासी कोटड़ा तहसील शिव जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार शिव 2. सूजा खां पुत्र रियाण खां जाति मुसलमान निवासी कोटड़ा तहसील शिव जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 1024 दिनांक 19.03.1985 जो तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री राजुराम कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 18.10.2021

1. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम कोटड़ा तहसील शिव के नामान्तरकरण सं. 1024 तहसीलदार शिव द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 19.03.1985 के विरूद्ध दिनांक 21.12.2018 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा कोटड़ा तहसील शिव के खसरा नंबर 973/1 रकबा 21–16 बीघा भूमि खातेदार सवाईसिंह वल्द कल्याण सिंह कौम राजपुत साकिन देह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदार सवाईसिंह द्वारा भूमि का पंजीकृत बेचान दिनांक 20.01.1984 निष्पादित किये जाने प[illegible]ारा नामान्तरकरण सं. 1024 में क्रेता सूजा वल्द[illegible] मुसलमान साकिन कोटड़ा तहसील शिव के[illegible]लदार शिव के स[illegible]तुत किया। तहसीलदार शिव द्वारा उक्त नाम[illegible]रकरण आदेश दिन[illegible].03.

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

1985 के द्वारा स्वीकृत कर दिया। इस नामान्तरकरण स्वीकृति के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 21.12.2018 को प्रस्तुत की गई हैं। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा कोटड़ा तहसील शिव के खसरा नंबर 973/1 रकबा 21–16 बीघा भूमि खातेदार सवाईसिंह वल्द कल्याण सिंह कौम राजपुत साकिन देह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदार सवाईसिंह द्वारा भूमि का पंजीकृत बेचान दिनांक 20.01.1984 निष्पादित किये जाने पर हल्का पटवारी कोटड़ा द्वारा नामान्तरकरण सं. 1024 में क्रेता सूजा वल्द रियाण व सूमार वल्द वली कौम मुसलमान साकिन कोटड़ा तहसील शिव के नाम दर्ज कर तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार शिव द्वारा उक्त नामान्तरकरण आदेश दिनांक 19.03.1985 के द्वारा स्वीकृत कर दिया। अपीलाधीन नामान्तरकरण पंजीबद्ध विक्रय दिनांक 20.01.1984 के अनुक्रम में दायर किया गया था जिसमें खातेदार सवाईसिंह द्वारा विवादित भूमि का बेचान क्रेतागण सूजा वल्द रियाण व मुगर वल्द वली के पक्ष में किया गया था। पंजीबद्ध विक्रय पत्र में क्रेतागण के नाम स्पष्ट रूप से अंकित किये गए थे तथा भूमि का विक्रय अपीलांट व रेस्पों. सं. 02 के पक्ष में होकर कब्जा [illegible] किया गया था। तहसीलदार शिव द्वारा पंजीबद्ध बेचान पत्र में अंकित क्रेतागण के नाम के संबंध में कोई जांच नहीं की, जबकि हल्का पटवारी द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र से भिन्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

नामान्तरकरण में अपीलांट का नाम मुगर के स्थान पर सूमार वल्द वली गलत अंकित कर दिया था। अपीलांट के नाम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता परिचय पत्र जारी किया गया है, परिवार का राशन कार्ड एवं आधार कार्ड भी बना है, जिसमें अपीलांट का नाम मुगर खां अंकित है। विक्रय पत्र एवं उक्त दस्तावेजों में अपीलांट का नाम मुगर खां होने के बावजूद अपीलाधीन नामान्तरकरण बिना दस्तावेजों के जॉच एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये स्वीकृत कर दिया है, जो अपास्त योग्य है। उपरोक्त अपील में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में विहित प्रावधानों का पालन नहीं करने से दोनों ही अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई और न ही विक्रय पत्र के बारे में सही जानकारी प्राप्त की गई। अपीलाधीन नामान्तरकरण में गलत रूप से सूमार का नाम दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जबकि सूमार नाम से कोई बेचान पत्र पंजीबद्ध नहीं हुआ था। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण आरम्भ से शून्य एवं निष्प्रभावी होने से खारिज योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अपीलांट एक ग्रामीण परिवेश का अनपढ़ व्यक्ति होने के कारण राजस्व रेकर्ड में उसका नाम गलत अंकित होने की उसे पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। वर्तमान में अर्सा बीस दिन पूर्व अपने हिस्से की भूमि पर केसीसी लेने हेतु जमाबंदी की नकल हेतु आवेदन किया तो बैंक ने जमाबंदी में अपीलांट का नाम गलत अंकित होने से केसीसी देने से मना कर दिया। इस पर आलौच्य नामान्तरकरण की नकल दिनांक 29.11.2018 को प्राप्त की तो सर्वप्रथम उक्त गलत नामान्तरकरण की [illegible] जानकारी होने से सम्यक तत्परता के साथ यह अपील [illegible] स्वाभाविक रूप से हुये विलम्ब को क्षमा करने हेतु [illegible] नियम के तहत् प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मयाद शुमार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण अपास्त किया जावें एवं विवादित भूमि में अपीलांट का नाम सूमार के स्थान पर मुगर खां पुत्र वली खां दर्ज कर नये सिरे से नामान्तरकरण पारित किये जाने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुना गया।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि मौजा कोटड़ा तहसील शिव के खसरा नंबर 973/1 रकबा 21–16 बीघा भूमि खातेदार सवाईसिंह वल्द कल्याण सिंह कौम राजपुत साकिन देह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदार सवाईसिंह द्वारा भूमि का पंजीकृत बेचान दिनांक 20.01.1984 निष्पादित किये जाने पर हल्का पटवारी कोटड़ा द्वारा नामान्तरकरण सं. 1024 में क्रेता सूजा वल्द रियाण व सूमार वल्द वली कौम मुसलमान साकिन कोटड़ा तहसील शिव के नाम दर्ज कर तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार शिव द्वारा उक्त नामान्तरकरण आदेश दिनांक 19.03.1985 के द्वारा स्वीकृत कर दिया। इस नामान्तरकरण स्वीकृति के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 21.12.2018 को प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण के विरूद्ध यह अपील लगभग 33 वर्ष की लम्बी समयावधि के पश्चात् प्रस्तुत की गई है तथा विलम्ब के संबंध में धारा 5 के प्रार्थना–पत्र में प्रकट किया है कि अपीलांट ग्रामीण परिवेश का अनपढ़ व्यक्ति होने से राजस्व रेकर्ड में अपना नाम गलत दर्ज होने की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अर्सा 20 दिन पूर्व ही अपने हिस्से की भूमि पर केसीसी लेने हेतु बैंक में विवादित भूमि [illegible] प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा नाम गलत होने से [illegible] अपीलांट का यह कथन 33 वर्ष की लम्बी समयावधि के विलम्ब का शमन करने में किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रकार से मददगार प्रतीत नहीं होता है। मयाद के संबंध में विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा स्पष्ट अभिनिर्धारित किया गया है कि विलम्ब के संबंध में प्रत्येक दिन कारण स्पष्ट किया जाना बाध्यकारी है। हस्तगत अपील में अपीलांट द्वारा स्वयं का अनपढ़ होना एवं राजस्व रेकर्ड के बारे में जानकारी नहीं होना प्रकट किया है। अपीलांट द्वारा लगभग 33 साल बाद अपील पेश की गई। इतने समय में अपीलांट को राजस्व रेकर्ड की जानकारी रही होगी। अपीलाधीन नामान्तरकरण के विरूद्ध लम्बे समय बाद अपील पेश करने का कोई ठोस कारण अपीलांट ने नहीं दिया है। लिहाजा मयाद के बिन्दु पर अपील खारिज योग्य प्रतीत होती है। अपीलांट सक्षम न्यायालय में दावा/वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है जहां गवाहों व साक्ष्यों से अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:08 IST
Reason: SelfAttested